न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 224 / 2025 (GCMS : 2025/433)

मनजीत सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एफ एफ तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **गुरमीत कौर** पुत्री श्री जोगेन्द्र सिंह पत्नी जरनैल सिंह जाति जटसिख आयु 65 वर्ष निवासी गांव 5 डब्ल्यू, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **चरणजीत कौर** पत्नी मलकीत सिंह जाति जटसिख आयु 55 वर्ष निवासी चक 18 एफएफ तहसील श्रीगंगानगर
3. **जोगेन्द्र सिंह** पुत्र श्री सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एफएफ तहसील श्रीगंगानगर – मृतक
4. **कुलदीप सिंह** पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एफएफ तहसील श्रीगंगानगर
5. **मनजीत कौर** पत्नी श्री सुखविन्द्र सिंह पुत्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चौबाल तहसील व जिला तरनतारण (पंजाब)
6. **करनैल सिंह** पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एफएफ तहसील श्रीगंगानगर
7. **बलराज सिंह** पुत्र मलकी सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एफएफ तहसील श्रीगंगानगर
8. **संदीप सिंह** पुत्र मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एफएफ तहसील श्रीगंगानगर
9. **गगनदीप कौर** पुत्री मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 18 एफएफ तहसील श्रीगंगानगर
10. **जसपाल कौर** पुत्री मलकीत सिह पत्नी नवजोत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 50 जीबी तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर
11. **राजस्थान सरकार** जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर
12. **पीठासीन अधिकारी,** श्री अजीत गोदारा (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.04.2026

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री शैलजा चौधरी एवं अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री जीतपाल सैनी उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 10 / 2023 अनवानी मनजीत सिंह आदि बनाम जोगेन्द्र सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88, 188, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब पक्षकारों का आपस राजीनामा होने के कारण वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है, इसलिए उनका मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थी सख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारों का आपस में राजीनामा होने के कारण प्रकरण को खारिज किया जाता है, तो उन्हें आपत्ति नही है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 10 / 2023 अनवानी मनजीत सिंह आदि बनाम जोगेन्द्र सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88, 188, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब पक्षकारों का राजीनामा हो गया इै, इसलिए वे प्रकरण को आगे नही चलाना चाहते है, इसलिए प्रार्थी के अधिवक्ता का मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है और फर्दअहकाम के हाशिये पर नॉट प्रैस अंकित किया है और अप्रार्थी के अधिवक्ता ने भी इस पर कोई आपत्ति है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर